तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2023	1– प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश जैन एवं अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार उपस्थित। 2– प्रकरण में आलौच्य पंचाट पारित करने वाले विद्वान पंच अधिकरण की नियुक्ति एक पक्षीय रूप से हुई है। इसलिए पंचाट की वैधानिक अक्षुण्णता व पोषणीयता के विधिक बिन्दु पर उभय पक्ष को न्यायहित में सुना जाना आवश्यक है। आलौच्य पंचाट की विधिसम्मत स्थिरता एवं पोषणीयता पर विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष को सविस्तार सुना गया। 3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आपत्तिकर्ता का निवेदन है कि प्रकरण में पंच अधिकरण की नियुक्ति एकपक्षीय रूप से हुई है जो कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। ऐसा पंचाट विधि की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है एवं उन्होंने इस आधार पर आलौच्य पंचाट को अपास्त करने का निवेदन किया। 4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया गया कि पंचाट विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। विद्वान पंच महोदय ने पंचाट पारित होने के पश्चात् उसकी सूचना प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को दे दी थी। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को पारित पंचाट से जो आपत्ति है उस पर वह गुणावगुण पर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। यदि एकपक्षीय रूप से पारित पंचाट को अविधिसम्मत माना जाता है तो अप्रार्थी/दावाकर्ता को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी/आपत्तिकर्ता को प्रतिभूत ऋण दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रकरण ग्रस्त पंचाट को विधि सम्मत बताते हुए इसे स्थिर रखे जाने का निवेदन किया। 5– एकपक्षीय रूप से नियुक्त विद्वान पंच महोदय की विधिक स्थिति एवं इसके अनुसरण में पारित पंचाट की अक्षुण्णता के संबंध में प्रवृत विधिक स्थिति के संबंध में उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली की सामग्री व संलग्न अभिलेख, प्रवृत्त संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। 6– प्रकरण में आलौच्य पंचाट एकपक्षीय रूप से नियुक्त पंच अधिकरण द्वारा पारित है। पंच अधिकरण की नियुक्ति भी अप्रार्थी की वांछा पर हुई है। इस तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर इसके बरअक्स उभय पक्ष का कोई निवेदन नहीं है। 7– प्रकरण में आलौच्य पंचाट की अखण्डता एवं पोषणीयता की विधिक स्थिति पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा पंचाट उद्भव के प्रारम्भिक कारकों यथा एकपक्षीय पंच नियुक्ति, एकपक्षीय पंचाट एवं	

	इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित नजीरों का अनुशीलन अपरिहार्य है। सीगे की पत्रावली के फर्द अहकाम पर रिपोर्ट के मुताबिक प्रकरण से संबंधित पंचाट पारित करने वाले विद्वान पंच की नियुक्ति एकपक्षीय है। न्यायालय को पंच नियुक्ति के लिये पक्षकारों की पारस्परिक सहमति की वैद्यानिक आवश्यकता पर समुचित रूप से विचार किया जाना भी आवश्यक है। सामान्यतः पक्षकारान अपनी वाणिज्यिक बुद्धि का आश्रय लेकर प्राय पंच नियुक्ति हेतु एकपक्षीय पंच के नियुक्त किये जाने हेतु अपने अनुबंध में खंड निगमित रखते हैं। इस निगमित खण्ड को प्रवृत्त विधि के अनुसार व्यवहारिक वैधानिकता की कसोटी पर कसा जाना अपरिहार्य है। 8– माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) सातवीं अनुसूची को संदर्भित करती है। यह अनुसूची उन अनर्हताओं को विहित करती है जो ऐसा पंच नियुक्त होने वाले व्यक्ति पर लागू होती है। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की पांचवी अनुसूची औचित्यपूर्ण संदेहों की एक सूची को विहित करती है जो एक पंच की स्वतंत्रता व निष्पक्षता से संबंधित है। न्यायिक दृष्टांतों अनुसार प्रवृत्त विधि यह वांछा करती है कि पक्षकारों के मध्य जीवन्त विवाद के अस्तित्व में आने के पश्चात् पक्षकारों की पंच नियुक्ति उनकी सहमति से हो। 9– अद्यतन में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं कई उच्च न्यायालयों ने यह निर्धारित किया है कि पंच नियुक्ति की एक पक्षीय व्यवस्था अथवा अनुबंध विधि की दृष्टि में एक प्रवर्तनीय अनुबंध की कोटि में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Perkins Eastman Architects DPC and Anr v/s HSCC India Ltd. 2020 20 SCC 760** में इस बिन्दु पर विचार किया और निष्कर्षित किया है कि पंचों की एक पक्षीय नियुक्ति एक सर्वग्राही निर्योग्यता है एवं इससे सारतः प्रकट होता है कि ऐसे पारित किया गया पंचाट प्रारम्भ से ही शून्य (*void ab initio*) है और विधि की दृष्टि में अदम मौजूदगी (*Non est*) की कोटि में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर जोर डाला कि एकपक्षीय पारित पंचाटों में नियुक्ति पक्षकार के पक्ष में एक अपवर्ज्यता का तत्व निहित होता है और यह पक्षकारों के बीच में शक्तियों के प्रति संतुलन को नकारता है। आज के परिप्रेक्ष्य में माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की वैधानिक मंशा पर तवज्जो दी जाये तो यह पंच नियुक्ति के संबंध में कुछ अनअर्हताओं के मानदण्ड को विहित करता है। अधिनियमिती में इस निमित्त समाविष्ट की गई यह युक्ति विवाद के निर्णय में हितबद्ध किसी	

पक्षकार को ना केवल एक पंच के रूप में कार्य करने से रोकती है बल्कि उसे एक पंच के रूप में नियुक्त होने हेतु अनर्ह भी बनाती है। *परकिन्सन ईस्टमेन* के मामले में *टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनरगो इंजी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड* 2017 8 SCC 377 के निष्कर्षों को आधार बनाया गया। इस प्रकरण में कंपनी के प्रबंध निदेशक को न तो मध्यस्थ के रूप में कार्य करने या मध्यस्थ को नामित करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बावजूद प्रबंध निदेशक ने एक मध्यस्थ को नामित किया, जिसके नामांकन को चुनौती दी गई। *टीआरएफ* के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एक बार जब प्रबंध निदेशक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं था, तो वह मध्यस्थ नियुक्त भी नहीं कर सकता था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्धारित किया कि जो कार्य सीधे नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***"Voestalpine Schienen GmbH Vs Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (2017) 4 SCC 665"*** के मामले में निर्धारित किया कि–

> *"20. Independence and impartiality of the arbitrator are the hallmarks of any arbitration proceedings. Rule against bias is one of the fundamental principles of natural justice which applied to all judicial and quasi-judicial proceedings. It is for this reason that notwithstanding that fact that relationship between the parties to the arbitration and the arbitrators themselves are contractual in nature and the source of an arbitrator's appointment is deduced from the agreement entered into between the parties, notwithstanding the same non-independence and non-impartiality of such arbitrator (though contractually agreed upon) would render him ineligible to conduct the arbitration. The genesis behind this rational is that even when an arbitrator is appointed in terms of contract and by the parties to the contract, he is independent of the parties. Functions and duties require him to rise above the partisan interest of the parties and not to act in, or so as to further, the particular interest of either parties. After all, the arbitrator has adjuicatory role to perform and, therefore, he must be independent of parties as well as impartial."*

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले ***" Bharat Broadband Netword Ltd. vs United Telecom Ltd., Civil Appeal No. 3972 of 2019"*** में निर्धारित किया किः–

"15. section 12(5), on the other hand, is a new provision which relates to the de jure inability of an arbitrator to act as such. Under this provision, any prior agreement to the contrary is wiped out by the non- obstante clause in Section 12(5) the moment any person whose relationship with the parties or the counsel or the subject matter of the dispate falls under the Seventh Schedule. The sub-section then delares that such person shall be "ineligible" to be appointed as arbitrator. The only way in which this ineligibility can be removed is by the provise, which again is a special provision which states that parties may, sabsequent to disputes having arisen between them, waive the applicability of Section 12(5) by an express agreement in writing. What is clear, therefore, is that where, under any agreement between the parties, a person falls within any of the categories set out in the Seventh Schedule, he is, as a matter of law, ineligible to be appointed as an arbitrator. The only way in which this ineligibility can be removed, again, in law, is that parties may after disputes have arisen between them, waive the applicability of this sub-section by an "express agreement in writing. Obviously, the "express agreement in writing" has reference to a penon who is interdicted by the Seventh Schedule, but who is stated by parties (after the disputes have arisen between them) to be a person in when they have faith notwithstanding the fact that such person is interdicted by the Seventh Schedule.

17. The scheme of Section 12, 13 and 14, therefore, is that where an arbitrator makes a disclosure in writing which is likely to give justifiable doubts as to his independence or impartiality, the appointment of such arbitrator may be challenged under Section 12(1) to 12(4) read with Section 13. However, where such person becomes "ineligible" to be appointed as an arbitrator, there is no question of challenge to

such arbitrator, before such arbitrator. In such a case, i.e. a case which falls under Section 12 (5), Section 14(1)(a) of the Act gets attracted inasmuch as the arbitrator becomes, as a matter of law (i.e., dejure), unable to perform his functions under Section 12(5), being ineligible to be appinted as an arbitrator. This being so, his mandate automatically terminates, and he shall then be substituted by another arbitrator under Section 14(1) itself. It is only if a controversy occurs concerning whether he has become de jure unable to perform his functions as such, that a party has to apply to the Court to decide on the termination of the madate, unless otherwise agreed by the parties. Thus, in all Section 12(5) cases, there is no challenge procedure to be availed of. If an arbitrator continues as such, being de jure unable to perform his functions, as he falls within any of the cetegories mentioned in Section 12(5), read with the Seventh Schedule, a party may apply to the Court, which will then decide on whether his mandate has terminated. Questions which may typically arise under Section 14 may be as to whether there is a waiver as provided in the proviso to Section 12(5) of the Act. As a matter of law, it is important to note that the proviso to Section 12(5) deals with waiver by express agreement in writing between the parties only if made subsequent to disputes having arisen between them."

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ***डिविजनल मैनेजर, हिमाचल प्रदेश राज्य फोरेस्ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रेम लाल,*** **CMPMO No. 58 of 2023** के मामले में निर्धारित किया कि एकपक्षीय रूप से पंच की नियुक्ति धारा 12(5) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अतिलंघन में है जो कि पंचाट को अनिष्पादनीय बनाती है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने *कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड बनाम नरेन्द्र कुमार प्रजापत,* Latest Caselaw 709 del मामले में निर्धारित किया किः–

"This court finds no infirmity with the aforesaid view. A person who is ineligible to act an arbitrator, lacks the inherent jurisdiction to render an arbitral award under the A & C Act. It is trite law that a decision, by any authority, which lacks inherent jurisdiction to make such a

decision, cannot be considered as valid. Thus, clearly, such an impugned award cannot be enforced."

10– हस्तगत प्रकरण में आलौच्य अवार्ड दिनांक 24.09.2019 में एकपक्षीय पंच अधिकरण की नियुक्ति दावाकर्ता/अप्रार्थी की वांछा पर हुई है। यह आलौच्य अवार्ड विधि की दृष्टि में अदम मौजूदगी (*Non est*) एवं बातिल इब्तदाई (*void ab initio*) की कोटि में आता है तथा कानून की दृष्टि में अप्रवर्तनीय है। माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि के आलोक में इस न्यायालय के विनम्र मत में जहां पारित पंचाट स्वयं विधि की दृष्टि में अपना मूल अस्तित्व खो देता है तो उसकी संधारणीयता का लोप हो जाता है। 'कोई अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता' (*निमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ*) व 'दूसरे पक्ष को सुनो' (*ऑडी ऑल्टरम पार्टम*) प्राकृतिक न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। विद्वान पंच अधिकरण की ऐसी कोई घोषणा पत्रावली पर नहीं है जिससे जाहिर होता हो कि वे कितने पूर्व मामलों में एवं अद्यतन में अप्रार्थी की ओर से पंच अधिकरण के रूप में नियुक्त हुए हो। यह भारत की विधि की मूल नीति कतई नहीं हो सकती कि पंच नियुक्ति की प्रक्रिया के निमित्त स्थापित वैधानिक मंशा का अतिक्रमण हो। पंच अधिकरण की एकपक्षीय नियुक्ति नैतिकता व न्याय की सामान्य आधारभूत धारणा के भी प्रतिकूल है। अतः विधि की दृष्टि में शून्य हैसियत रखने वाले आलौच्य पंचाट की स्थिरता को अनुमेय नहीं किया जा सकता है।

11– परिणामतः प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद व माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय पंचाट, पंच अधिकरण के रूप में नियुक्ति की अनर्हता के संबंध में पारित विधि के निर्णिताधार व निर्णितानुसरण पर विचारोपरान्त प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना अंतर्गत धारा 34 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामतः प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम,1996 स्वीकार किया जाकर विद्वान आर्बिट्रेटर महोदय द्वारा पारित आलौच्य अवार्ड दिनांकित 24.09.2019 सम्पूर्ण अंशो में अपास्त किया जाता है। न्यायहित में और स्थापित विधि के आलोक में प्रकरण के पक्षकारों की उनके स्वविवेक अनुसार स्वतंत्रता रहेगी कि वे अपने माध्यस्थम योग्य जीवंत विवाद, यदि कोई हो तो, का विधिनुसार प्रक्रिया द्वारा पुनः पंच नियुक्ति करवा निस्तारण हेतु

संदर्भित करवाये। पक्षकार भविष्य में यदि इस विकल्प का चयन करते हैं तो वे सद्भावनापूर्वक की गई विधिक कार्यवाहियों के संबंध में मियाद विधिनुसार रियायत पाने के अधिकारी होंगे। चूंकि मूल पत्रावली का निस्तारण हो चुका है इसलिए प्रकरण में यदि कोई दीगर प्रार्थना पत्र विचाराधीन हो तो वह भी एतद्नुसार दर्ज/निस्तारित रहे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है एतद् पत्रावली सांख्यिकीय प्रयोजन से फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार मय अभिलेख, यदि कोई हो तो, दाखिल दफ्तर रहे।

12– आदेश आज दिनांक 04.10.2023 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Amit Kumar Karwasra
Digitally signed by Amit Kumar Karwasra
Date: 2023.10.05 17:06:15 +0530

(अमित कुमार कड़वासरा)
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम सं. 4,
जयपुर महानगर द्वितीय